

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

केवल गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएँ, जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं के लिए।

आपकी बेटी योजना आवेदन-पत्र सत्र 2017-18

फोटो

1	छात्रा का नाम	
2	पिता का नाम	
3	माता का नाम	
4	वर्तमान में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय का नाम	
5	कक्षा	
6	जन्मतिथि	
7	घर का पता	
8	बी.पी.एल. कार्ड नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
9	माता या पिता अथवा दोनों के निधन के सम्बन्ध में उल्लेख करें। (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
10	अनु. जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य	
11	बैंक का नाम एवं शाखा	
12	खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड	

छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी जो कि कक्षा में अध्ययनरत है उक्त छात्रा आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने की पात्रता रखती है। अतः छात्रा को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अभिशंका की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
मय मोहर